THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) ACT, 1956

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ।
2. धारा 60 में संशोधन।

दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीज़र (हिमाचल प्रदेष संषोधन) अधिनियम, 1956

(1956 का अधिनियम सं0 6)

(Received the assent of the President on 24th March, 1956 and was published in Hindi in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 17th May, 1956, pp. 89-90).

दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीज़र (ऐक्ट V, 1908) की हिमाचल प्रदेष में प्रयुक्ति के लिये (in its application to) उसमें संषोधन करने का अधिनियम।

यह भारत गणतन्त्र के सातवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाएः–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ.– (1) इस अधिनियम का नाम दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीज़र (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1956 होगा।

(2) इसका प्रसार समस्त हिमाचल प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रचलित होगा।

2. दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीज़र (ऐक्ट V, 1908) की धारा 60 में संषोधन. – दी कोड ऑफ सिविल प्रोसीज़र (ऐक्ट V, 1908) की धारा 60 की उप–धारा (1) के परादिक में–

(अ) खण्ड (c) के अन्त में निम्नलिखित शब्द बढ़ा दिये जायें, अर्थात्:

"or compensation paid for such houses and buildings (including compensation for the materials and the sites and the land referred to above) acquired for a public purpose;" और

(आ) खण्ड (c) के पश्चात् निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात्:

"(cc) compensation paid for agricultural lands belonging to agriculturists and acquired for a public purpose;"